# छत्तीसगढ़ शासन
# वित्त विभाग
## —:: मंत्रालय ::—
## महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
## जिला रायपुर

क्रमांक1129/पी.एफ.एम.एस./सी.एस.एस./ब–4/चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 01/06/2022

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
समस्त विभागाध्यक्ष
छत्तीसगढ़

विषय :— केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत कोषालय से राशि आहरण हेतु एस.एन.ए. के बैंक खाते का विवरण ई–कोष में लॉक (lock) करने बाबत्।

———000———

भारत सरकार के कार्यालयीन ज्ञापन एफ.क्र.1(13)/पीएफएमएस/एफसीडी/2020 दिनांक 23.03.2021 के द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत राशि विमुक्ति की संशोधित प्रक्रिया लागू की गई है। इस प्रक्रिया के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक में अवगत कराया गया है कि एस.एन.ए. मार्किंग (SNA Marking) के पश्चात भी पी.एफ.एम.एस. पोर्टल (PFMS Portal) की रिपोर्ट में आहरित राशि दर्शित (reflect) नहीं हो रही हैं। सही रिपोर्ट हेतु पी.एफ.एम.एस. पोर्टल में बजट शीर्षो की सही मैंपिग तथा एस.एन.ए. मार्किंग के समय दिये गये बैंक विवरण अनुसार उसी खाते में राशि का आहरण आवश्यक है।

अतः समस्त केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिये कोषालय से राशि आहरण करने हेतु बजट में प्रावधानित केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं (सेगमेंट कोड– 0701, 0702, 0703, 0704, 0705 एवं 0706) की लॉकिंग (locking) के लिये –

1. ऐसी योजनाएँ जिनमें एस.एन.ए. मार्किंग पूर्ण हो चूकी है उनमें मार्किंग के समय दिये गये एस.एन.ए. खातें के विवरण (account details) अनुसार खाता विवरण ई–कोष में लॉक किया जायेगा।
2. ऐसी योजनाएँ जिनमें एस.एन.ए. मार्किंग प्रक्रियाधीन है, उनमें विभाग द्वारा यथाशीघ्र मार्किंग पूर्ण करा लिया जावे तथा एस.एन.ए. खातें के विवरण को ई–कोष में लॉक करने हेतु जानकारी संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन को उपलब्ध करायी जावे। मार्किंग पूर्ण होने तक ऐसी योजनाओं के अंतर्गत कोषालय से आहरण नहीं किया जावे।
3. ऐसी योजनाएँ जिन्हें संशोधित प्रक्रिया के पालन से छूट (exemption) प्रदान की गई है, उनमें विभाग द्वारा अनुरोध करने पर संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन के द्वारा खातों की लॉकिंग से छूट प्रदान की जावेगी।
4. वेतन मद से आहरण हेतु आगामी निर्देश तक वर्तमान प्रकिया का पालन किया जावे।
5. एस.एन.ए. बैंक खाता विवरण की लॉकिंग के पश्चात यदि एस.एन.ए. बैंक खाता में परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो तो संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन से खाता विवरण में परिवर्तन हेतु अनुरोध किया जावे तथा वित्त विभाग को परिवर्तन की सूचना दी जावे।

3/06/2022

(ऋषभ पराशर)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्रमांक।3०/पी.एफ.एम.एस./सी.एस.एस./ब–4/चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक ०। /06/2022

प्रतिलिपि :–

1. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
2. मुख्य सचिव के उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
4. समस्त विशेष सचिव/ संयुक्त सचिव/उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
5. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर की ओर एन.आई.सी. से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. समस्त अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
7. संयुक्त महालेखा नियंत्रक, पी.एफ.एम.एस., राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ
8. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु। (ई–कोष में आवश्यक लॉकिंग / चेक लगाने हेतु)
9. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नवा रायपुर अटल नगर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in पर अपलोड करने हेतु।

(चन्द्र प्रकाश पाण्डेय)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग